संख्या–73/XLI-1/12–07(प्रशि0)/2012

प्रेषक,

शैलेश बगोली,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक
प्रशिक्षण विभाग,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग देहरादूनः दिनांक 25/26 अप्रैल, 2012

विषयः– प्रशिक्षण विभाग हेतु वित्तीय वर्ष 2012–2013 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30 मार्च, 2012 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रशिक्षण विभाग के वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के व्ययों का भुगतान सुनिश्चित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के 04 माह (दिनांक 01 अप्रैल, 2012 से 31 जुलाई, 2012 तक के लिये) संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित विवरणानुसार आयोजनागत पक्ष में ₹ 354.16 लाख (रूपये तीन करोड चौव्वन लाख सोलह हजार मात्र) एवं आयोजनेत्तर पक्ष में ₹. 1321.17लाख (रूपये तेरह करोड इक्कीस लाख सत्रह हजार मात्र) की धनराशि अधोउल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय किये जाने की हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– वचनबद्ध/अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि का कदापि व्यय नहीं किय जायेगा।

3– व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्य पर व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम अधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति भी अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों हेतु पूरे वर्ष के सम्भावित व्यय की फेजिंग कर कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त करायेंगें तथा लक्ष्य के अनुसार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा/अनुश्रवण किया जाना अनिवार्य रूप से आवश्यक होगा।

4– किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1(वित्तीय अधिकारी प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5— यह उल्लेखनीय है कि शासन के व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6— अनुदानों को विभागवार एवं विभागाध्यक्षवार तैयार करने के कारण एक ही लेखाशीर्षक अनेक अनुदानों के अन्तर्गत प्रदर्शित होता है, जिसके फलस्वरूप महालेखाकार के कार्यालय में व्यय को सही लेखाशीर्षक/अनुदान के अन्तर्गत पुस्तांकित करने में कठिनाई होती है और सुसंगत लेखाशीर्षक/अनुदान के अधीन त्रुटि रह जाने की सम्भावना बनी रहती है। इस हेतु आवश्यक है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियाँ शासनादेश संख्या बी–2–2337/97 दिनांक 21 नवम्बर, 1997 के प्रारूप में सही लेखाशीर्षक इंगित करते हुये ही निर्गत की जाय। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या का भी उल्लेख अवश्य किया जाये।

7— बजट नियंत्रक अधिकारी डी.एम–17 पर आवंटन सम्बन्धी विवरण तथा आवंटन आदेश हेतु निर्धारित प्रारूप पर आहरण–वितरण अधिकारियों को बजट आवंटन तथा जिस अधिकारी का नमूना हस्ताक्षर समस्त कोषागारों में परिचालित हो, के हस्ताक्षर से अनुदान के अधीन आयोजनागत एवं आयोजनेत्तर की धनराशियां पूर्व निर्गत शासनादेशों के क्रम में जारी किया जाए अन्यथा कोषागार द्वारा भुगतान नहीं किया जायेगा, जिसके लिये सम्बन्धित अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

8— विभाग में स्वीकृतियों एवं उसके सापेक्ष व्यय का रजिस्टर रखा जाय एवं प्रत्येक माह में स्वीकृति/व्यय सम्बन्धी सूचना शासनादेशों की प्रतियां सहित वित्त एवं नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

9— बजट मैनुअल पैरा–88 में इंगित किया गया है कि नियंत्रक अधिकारी या विभागाध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होंगे कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय और यदि किसी मामलें में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाया जाय। बी.एम–13 पर नियमित रूप से सूचना विलम्बतः 15 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध करायी जाय। बजट मैनुअल के विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से भेजी जाने वाली सूचना समय से भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

10— स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय केवल चालू स्वीकृति योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नई मदों के कार्यान्वयन हेतु नही किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वर्तमान वित्तीय नियमों/शासनादेशों के तहत ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

11— आयोजनागत पक्ष में स्वीकृत धनराशि का व्यय निर्धारित परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2230–श्रम तथा रोजगार के अधीन संलग्नक परिशिष्ट में उल्लिखित सम्बन्धित ब्यौरेवार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

13– जिन मदों में वित्तीय वर्ष 2012–13 में लेखानुदान के माध्यम से स्वीकृत बजट के सापेक्ष धनराशि निर्गत नहीं की गयी है, उन मदों में आवश्यकता के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

14– उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः 193/दिनाक 30मार्च 2012 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

(शैलेश बगौली)
अपर सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

11 महालेखाकार, उत्तराखण्ड ऑबेरॉय बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
12 आयुक्त गढवाल एवं कुमाऊँ मण्डल उत्तराखण्ड।
13 निदेशक कोषागार एंव वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून।
14 समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
15 समस्त प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण स्थान उत्तराखण्ड।
16 वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग–5 उत्तराखण्ड शासन।
17 नियोजन अनुभाग उत्तराखण्ड शासन।
18 राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर देहरादून
19 बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
20 गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(सुनील सिंह)
अनु सचिव

शासनादेश संख्याः– 73 /XLI-1/12–7(प्रशि0)/2012 दिनांक अप्रैल, 2012 का परिशिष्ठ

राजस्व लेखा अनुदान संख्याः–16 (धनराशि रूपये हजार में)

लेखाशीर्षक/मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2230–	श्रम तथा रोजगार		
03–	प्रशिक्षण		
001–	निदेशन तथा प्रशासन		
01–	प्रशिक्षण एवं रोजगार सबंधी अधिष्ठान		
01–	वेतन	-	3667
02–	मजदूरी	-	13
03–	महंगाई भत्ता	-	2493
04–	यात्रा व्यय	-	67
05–	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	-	10
06–	अन्य भत्ते	-	403
07–	मानदेय	-	3
08–	कार्यालय व्यय	-	67
09–	किराया रेट	-	25
10–	बिजली/जलप्रभार	-	2
11–	टंकण, स्याही और फार्मों की छपाई	-	27
13–	टेलीफोन एवं व्यय	-	20
16–	मशीनरी का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	-	25
17–	[illegible]	-	[illegible]
21–	[illegible]	-	[illegible]
24–	अनुरक्षण	-	17
42–	अन्य व्यय	-	8
46–	कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का क्रय	-	17
47–	[illegible]	-	3
	योग		6981

लेखाशीर्षक/मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2230–	श्रम तथा रोजगार		
05–	प्रशिक्षण		
003–	प्रशिक्षकों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण		
01–	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें		
0101–	योजना आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (75 प्रतिशत के0यो0)		
01–	वेतन	250	-
03–	महंगाई भत्ता	170	-
04–	यात्रा व्यय	33	-

06–	अन्य भत्ते	28	-
07–	मानदेय	17	-
08–	कार्यालय व्यय	67	-
10–	जलकर/जल प्रभार	3	-
13–	टेलीफोन पर व्यय	67	-
15–	गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	67	-
16–	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	33	-
42–	अन्य व्यय	3333	-
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	33	-
	योग:–	**4101**	

लेखाशीर्षक/मानक मद		आयोजनागत	आयोजनेत्तर
2230–	श्रम तथा रोजगार		
03–	प्रशिक्षण		
003	दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण		
03–	दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान		
01–	वेतन	16667	66667
02–	मजदूरी	33	33
03–	मंहगाई भत्ता	11333	45333
04–	यात्रा व्यय	50	167
05–	स्थानान्तरण यात्रा व्यय	33	100
06–	अन्य भत्ते	1833	8433
07–	मानदेय	17	17
08–	कार्यालय व्यय	133	83
09–	विद्युत देय	133	1667
10–	जलकर/जलप्रभार	33	83
11–	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	33	33
13–	टेलीफोन पर व्यय	33	42
15–	गाड़ियों का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	17	17
16–	व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	17	17
17–	किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	233	1167
21–	छात्रवृत्तियां और छात्र वेतन	27	17
27–	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	67	167
29–	अनुरक्षण	33	33
42–	अन्य व्यय	333	83
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का कय	17	33
	योग:	**31075**	**124192**

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 73/XLI-1/12-07(Trg)/2012

अलोटमेंट आई डी - S1204160742

अनुदान संख्या - 016

आवंटन पत्र दिनांक - 26-Apr-2012

लेखा शीर्षक - 2230 - श्रम तथा रोजगार

001 - निदेशन तथा प्रशासन

00 - प्रशिक्षण एवं रोजगार सम्बन्

03 - प्रशिक्षण

01 - प्रशिक्षण एवं रोजगार सम्बन्

HOD Name - Director Training (4635)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	3667000	3667000
02 - मजदूरी	0	13000	13000
03 - महंगाई भत्ता	0	2493000	2493000
04 - यात्रा व्यय	0	67000	67000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	10000	10000
06 - अन्य भत्ते	0	403000	403000
07 - मानदेय	0	3000	3000
08 - कार्यालय व्यय	0	67000	67000
09 - विद्युत देय	0	25000	25000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	2000	2000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	0	27000	27000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	20000	20000
15 - गाडियों का अनुरक्षण और पेट्र	0	25000	25000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	17000	17000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	67000	67000
29 - अनुरक्षण	0	17000	17000
42 - अन्य व्यय	0	8000	8000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर	0	17000	17000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्ध	0	33000	33000
	0	6981000	6981000

RUPEES SIXTY-NINE LAKHS EIGHTY-ONE THOUSAND ONLY

प्रशिक्षण

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 73/XLI-1/12-07(Trg)/2012

अलोटमेंट आई डी - S1204160736

अनुदान संख्या - 016

आवंटन पत्र दिनांक - 25-Apr-2012

लेखा शीर्षक - 2230 - श्रम तथा रोजगार

003 - दस्तकारों तथा पर्यवेक्षक

00 - दस्तकार प्रशिक्षण योजना एव

03 - प्रशिक्षण

03 - दस्तकार प्रशिक्षण योजना एव

HOD Name - Director Training (4635)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	66667000	66667000
02 - मजदूरी	0	33000	33000
03 - महंगाई भत्ता	0	45333000	45333000
04 - यात्रा व्यय	0	167000	167000
05 - स्थानांतरण यात्रा व्यय	0	100000	100000
06 - अन्य भत्ते	0	8433000	8433000
07 - मानदेय	0	17000	17000
08 - कार्यालय व्यय	0	83000	83000
09 - विशेष देय	0	1667000	1667000
10 - डाकघर / तार प्रभार	0	83000	83000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	0	33000	33000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	42000	42000
15 - सड़कों का अनुरक्षण और पेट	0	17000	17000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	17000	17000
17 - किराया, उपयोग और कर-न	0	1167000	1167000
21 - आतिथ्य और आवभगत	0	17000	17000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	167000	167000
29 - अनुरक्षण	0	33000	33000
42 - अन्य व्यय	0	83000	83000
47 - अनुदान, अनुलाभ/छात्रवृत्ति	0	33000	33000
	0	124100000	124100000

RUPEES TWELVE CRORES FORTY-ONE LAKHS [illegible] TY-TWO THOUSA[illegible] ONLY

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 73/XLI-1/12-07[Trg]/2012

अलोटमैंट आई डी - S1204160748

अनुदान संख्या - 016

आवंटन पत्र दिनांक - 26-Apr-2012

लेखा शीर्षक - 2230 - श्रम तथा रोजगार

003 - दस्तकारो तथा पर्यवेक्षक

00 -

03 - प्रशिक्षण

08 - औद्योगिक प्रशिक्षण सलाह

HOD Name - Director Training (4635)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
04 - यात्रा व्यय	0	67000	67000
07 - मानदेय	0	133000	133000
08 - कार्यालय व्यय	0	33000	33000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	17000	17000
15 - मोटरों का अनुरक्षण और पेट्र	0	133000	133000
17 - किराया,उपशुल्क और कर-स	0	60000	60000
42 - अन्य व्यय	0	200000	200000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्ध	0	10000	10000
	0	653000	653000

RUPEES SIX LAKHS FIFTY-THREE THOUSAND ONLY

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 73/XLI-1/12-07[Trg]/2012

अनुदान संख्या - 016

अलोटमैंट आई डी - S1204160750

आवंटन पत्र दिनांक - 26-Apr-2012

लेखा शीर्षक - 2230 - श्रम तथा रोजगार

102 - शिक्षुता प्रशिक्षण

00 - शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना

03 - प्रशिक्षण

03 - शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना

HOD Name - Director Training (4635)

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	133000	133000
02 - मजदूरी	0	3000	3000
03 - महंगाई भत्ता	0	91000	91000
04 - यात्रा व्यय	0	2000	2000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	2000	2000
06 - अन्य भत्ते	0	15000	15000
08 - कार्यालय व्यय	0	17000	17000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	0	2000	2000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	13000	13000
29 - अनुरक्षण	0	10000	10000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/सम्बन्ध	0	3000	3000
	0	291000	291000

RUPEES TWO LAKHS NINETY-ONE THOUSAND ONLY

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Technical Education (S051)

आवंटन पत्र संख्या - 73/XLI-1/12-07[Trg]/2012

अनुदान संख्या - 016

अलोटमेंट आई डी - S1204160751

आवंटन पत्र दिनांक - 26-Apr-2012

लेखा शीर्षक - 2230 - श्रम तथा रोजगार
003 - दस्तकारों तथा पर्यवेक्षक
00 - दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं

03 - प्रशिक्षण
03 - दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं

HOD Name - Director Training (4635)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	16667000	16667000
02 - मजदूरी	0	33000	33000
03 - महंगाई भत्ता	0	11333000	11333000
04 - यात्रा व्यय	0	50000	50000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	33000	33000
06 - अन्य भत्ते	0	1833000	1833000
07 - मानदेय	0	17000	17000
08 - कार्यालय व्यय	0	133000	133000
09 - विशेष देय	0	133000	133000
10 - उपस्कर / जल प्रभार	0	33000	33000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की	0	33000	33000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	33000	33000
15 - गाड़ियों का अनरक्षण और पेट्र	0	17000	17000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	17000	17000
17 - किराया, उपस्कर और भवन	0	233000	233000
21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0	33000	33000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	67000	67000
29 - अनरक्षण	0	33000	33000
42 - अन्य व्यय	0	333000	333000
47 - कम्प्यूटर अनरक्षण/तत्सम्बन्ध	0	17000	17000
	0	31075000	31075000

RUPEES THREE CRORES TEN LAKHS SEVENTY-FIVE THOUSAND ONLY

(सुदीप सिंह)
अनुभाविय
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा
बोर्ड बोर्ड बोर्ड।